**वर्ष : 19 अंक : 2 कुल अंक : 66 मई-अगस्त, 2014**

**विचार**

**संपादकीय**

**विकास विचार**

* सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच: गुजरात व राजस्थान के अनुभव
* बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के पेंशन प्राप्त करने के अनुभव
* सार्वजनिक सेवाओं तक गरीबों की पहुँच के अनुभव
* जननी सुरक्षा योजना के अनुभव
* विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना

**आपके लिए**

दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई: उत्तरदायित्व का सृजन

**अपनी बात**

'राईट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एन्ड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट' (बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम) 2009 के क्रियान्वयन की स्थिति

**संदर्भ सामग्री**

**भारत में सामाजिक अलगाव गरीबी**

भारत में 1993-94 में गरीबी का प्रतिशत 37.3 था जो 2004-05 में घटकर 28.3 प्रतिशत रह गया और 2009-10 में यह प्रतिशत 23.7 पर आ गया। इस प्रकार, पिछले कुछ वषोर्ं में गरीबी कम हो रही है, लेकिन यह प्रक्रिया सभी के लिए समान नहीं है। कुछ सामाजिक समूहों (दलित, मुस्लिम, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं, आदि) और भौगोलिक क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा) में गरीबी और अधिक केंद्रित हो गई है। यह भी पाया गया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बीच और राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति खपत, और मानव विकास सूचकांकों में अंतर बढ़ता जा रहा है। सामाजिक अलगाव की इस प्रवृत्ति को समझने और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है।

बुनियादी आम सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, गरिमा, रोजगार, कानूनी, न्याय, आदि) से अलगाव, व्यक्ति और समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये वंचित समुदाय इन सामान्य सेवाओं से बिल्कुल दूर रहते हैं तथा समाज के अन्य वगोर्ं की तुलना में असमान और भेदभावपूर्ण सेवाएं प्राप्त करते हैं। जब किसी एक समुदाय पर यह वंचितता दुगुनी होती है (उदाहरण के लिए कोई औरत विकलांग हो या दलित, भूमिहीन हो) तब सामाजिक अलगाव की यह मात्रा दुगुनी हो जाती है। यह भी पता चलता है कि सामाजिक अलगाव की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। कई बार अनुपयुक्त या अपर्याप्त कानून और नीतियां, या इसकी संरचना अलगाव का कारण बनते हैं। जैसे, आवास के अधिकार को मौलिक अधिकारों में स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि, कई बार इसे जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया जाता है। इसके बावजूद आवास के अधिकार के बारे में स्पष्ट प्रावधानों की जरूरत है। इसके अलावा, मौजूदा कानून और नीति को लागू करने में विफलता और संस्थागत पूर्वाग्रह सामाजिक अलगाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे शिक्षा के अधिकार में उल्लेखित 9 सुविधाएं मार्च 2013 तक केवल 10 प्रतिशत स्कूलों में ही उपलब्ध थी। लागू करने में विफलता महत्वाकांक्षी और आवश्यक नीति और कानून को व्यर्थ बनाती है। इसके अलावा, हिंसा और भेदभाव सभी वंचित समूहों इन सेवाओं के लाभ से वंचित रखती हैं। जैसे कि हाल ही में बनाए जा रहे सेज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में श्रम कानूनों को मालिकों के पक्ष में बनाया जा रहा है। इसी तरह, कई बार स्कूलों में शिक्षकों द्वारा कुछ समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव करने से वे शिक्षा से दूर होने लगते हैं। यह भी देखा जाता है कि इन कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त पैसे का भी प्रावधान नहीं किया जाता। जैसे 2012-13 में शिक्षा के लिए, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.75 फीसदी प्रदान किया गया था जो वास्तविक आवश्यकता से काफी कम है।

उपरोक्त सामाजिक अलगाव की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार, समुदाय, कानूनी प्रणाली, नागरिक समाज के संगठनों और समाज के सभी अंगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अलगाव के आंकड़ों का व्यवस्थित रूप से संग्रह किया जाए और व्यापक स्तर पर उनका विश्लेषण किया जाए। सरकार, बाजार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक अलगाव पैदा होता है। हालांकि, इसमें सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज और बाजार का नियंत्रण करे, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, और लोगों के कल्याण उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बुनियादी सेवाएं लोगों तक पहुँचे - सीधा प्रावधान करके अथवा लोगों को न्यायिक, समानता पर आधारित और निरंतर सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करके। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में बुनियादी मूलभूत सेवाओं से किसी भी नागरिक या समूह को वंचित नहीं किया जा सकता है, और इन सेवाओं के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती।

स्रोत: (1) राजीव मल्होत्रा, 2014 भारतीय सार्वजनिक नीति रिपोर्ट, 2014, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

(2) इन्डिया एक्सक्लुजन रिपोर्ट - 2013-14, बुक्स फॉर चेन्ज

**सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच: गुजरात व राजस्थान के अनुभव**

यूरोपियन यूनियन की सहायता से 'उन्नति' द्वारा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा व सिंधरी तहसील में और गुजरात के साबरकांठा जिले में खेडब्रह्मा/पोशिना व विजयनगर तहसील और चलाए जा रहे -'सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचना तक पहुंच' - कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन्नति के कार्यकर्ताओं के गुजरात व राजस्थान के सार्वजनिक सेवाओं में पहुँच के बारे में अपने अनुभवों को दर्शाया गया है।

बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के पेंशन प्राप्त करने के अनुभव

अप्रैल-अगस्त, 2014 के दौरान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में नौ गांवों के पेंशन के हकदार लोगों और पेंशन धारकों से किए गए साक्षात्कार के आधार पर इस लेख को 'उन्नति' के श्री दिलीप बीदावत ने तैयार किया है। लोगों को पेंशन प्राप्त करने में विभिन्न चरणों में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में इस लेख में चर्चा की गई है।

राजस्थान के बाड़मेर जिले के माण्डली गांव के बुजुर्ग शंकरलाल भील का कहना है कि जब जेब में कुछ पैसे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शंकरलाल के बच्चे उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें संतोष है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। शंकरलाल कई बार अपने पोते-पोतियों के लिए मिठाई खरीदते हैं, जिससे बच्चे हमेशा उनके आसपास रहते हैं और उन्हेंे अकेलापन नहीं सालता है। हाल ही में, गांव में राशन की दुकान से राशन बेचा जा रहा था, लेकिन शंकरलाल के बेटे के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पिता की मदद मांगी। अपने बेटे को राशन खरीदने के लिए पैसे देकर शंकरलाल को बहुत खुशी हुई, और उनका मानना है कि अपने पिता के मदद करने पर बेटे को भी खुशी हुई होगी।

चिड़ियाडा गांव के बुजुर्ग दूदाराम अकेले रहते हैं। वे गांव के मंदिर के पुजारी है और उनकी रोज-ब-रोज की जरूरतें पूरी हो रही हैं। वे पेंशन राशि से कपड़े खरीदते हैं, जब वे बीमार होते हैं तो दवाई खरीदते हैं, और कभी-कभी तीर्थयात्रा या रिश्तेदारों के यहां जाते हैं। पेंशन की आय से वे जरूरत पड़ने पर पारिवारिक अवसरों में खर्च कर सकते हैं। इस तरह पेंशन उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।

एक बड़े संयुक्त परिवार में रहने वाली महिला ने बताया कि उनके सभी बेटे काम करते हैं और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। परंतु कुछ खर्च करना हो तो उन्हे अपने बेटों और बहुओं से इजाजत लेनी पड़ती है। पेंशन का पैसा वे अपनी मर्जी से खर्च करती हैं। बेटी-जंवाई साल में एक या दो बार आते हैं, तो वे सामाजिक प्रथा के अनुसार उनके लिए भेंट-उपहार खरीद सकती हैं। दयावंती के दोनों पैर काम नहीं करते। दयावंती विधवा हैं। उन्हें ट्राइसाइकिल (तिपहिया साइकिल) दी गई है। वे लड़कों के निजी छात्रावास में खाना पकाने और पापड़ बेचने का काम करती हैं। उनको मिलने वाली पेंशन से वे अपनी बेटी की शिक्षा पर और घर में कोई बीमार हो तो उसके इलाज पर खर्च कर सकती हैं। उनका कहना है कि पेंशन समय पर नहीं मिलने पर भी उसे आय का स्रोत मानते हुए लोग उन्हें पैसे उधार देते हैं और दुकानदार सामान उधार देते हैं।

इस महत्वपूर्ण सामाजिक-सुरक्षा योजना को प्राप्त करने में लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ये मुश्किलें मुख्यत:

(1) प्रावधानों का अनुसरण

(2) सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचना प्रदान करने में उदासीनता और

(3) ग्राम पंचायत और जिला अधिकारियों की लाभार्थियों के प्रति जवाबदेही का अभाव के कारण हैं।

वर्ष 2013 में पेंशन महा-अभियान (पेंशन आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पंचायत स्तर के शिविर लगाने की राज्य भर में व्यवस्था) के दौरान पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों को अभी तक यह पता नहीं लगा कि उनके आवेदन रद्द कर दिए हैं, और रद्द कर दिए गए तो उसके क्या कारण थे।

जून 2014 में, सजियाली ग्राम पंचायत के सोखरों की बेरी गांव में ऐसे 20 आवेदकों के ग्राम सेवक से संपर्क करने पर उसने उत्तर दिया कि उसके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पंचायत समिति से संपर्क करने पर आवेदकों को बताया गया कि वे आवेदन रद्द हो गए थे और उनका विवरण ग्राम पंचायत को भेज दिया गया था। आवेदनों के रद्द होने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। इन आवेदनों की पेंशन के लिए पात्रता होने के कारण आवेदकों ने फिर से आवेदन किया और कागजातों की औपचारिकताएं जुलाई-अगस्त 2014 के दौरान पूरी हुई। फिर भी पटवारी द्वारा उनकी जमीन और आय का सत्यापन अब तक नहीं हुआ।

पटवारी का कहना है कि उस पर छह ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होने के कारण काम का ढेर हो गया है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कहना है कि पटवारी के कार्यालय में मिलने का समय तय नहीं है। इसके बाद इस पटवारी की बदली हो गई और नया पटवारी अभी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं आया।

इसी गांव के अन्य 10 लोगों ने बताया कि पिछले दस वर्षों से उन्हें पेंशन नहीं मिली है। 2013 में पेंशन महा अभियान में उन्होंने फिर से आवेदन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पंचपदरा (तहसील मुख्यालय) के वित्त कार्यालय (ट्रेजरी पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार) से संपर्क करने पर पता चला कि उन्हें पुराना पेंशन फिर से

शुरू कराने के लिए व भुगतान आदेश (पीपीओ), राशन कार्ड की नकल और ग्राम पंचायत से जीवित होने का प्रमाणपत्र लेकर जमा करें।

इस प्रक्रिया के बाद पेंशन धारकों को पिछले पांच महीने की पेंशन एक साथ मिल गई। एक से अधिक विकलांगता वाले भट्टाराम मेघवाल और उनकी दृष्टिविहीन माँ की पेंशन जनवरी 2013 से बंद हो गई और कोई नहीं जानता कि पेंशन क्यों बंद कर दी गई है। वित्त कार्यालय से संपर्क करने पर पाया कि लाभार्थी का सालाना सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशन बंद कर दी गई थी। बाड़मेर जिले के खारडी गांव की चकरी देवी को अगस्त 2012 से विधवा पेंशन मिलने लगी थी और किसी भी सूचना या जानकारी के बिना दिसम्बर 2012 से पेंशन बंद कर दी गई थी।

चकरी देवी के बच्चे अभी छोटे हैं वे अकुशल मजदूरी करती हैं, पेंशन की राशि उनका एकमात्र सहारा है। अलग-अलग कार्यालयों में जाकर इस बारे में पूछताछ करने के लिए चकरी देवी के पास समय भी नहीं है, या उन्हें ऐसा करने की इच्छा भी नहीं है।

हमने 27 जून 2014 को पांचपदरा तहसील मुख्यालय के कार्यालय में चकरी देवी की पेंशन की स्थिति के बारे में पूछताछ की तो पाया कि पिछले बाकी 3,000 रुपए और चालू माह की पेंशन 500 रुपए भेज दिए गए हैं। लेकिन डाकिए ने कहा कि उसे सिर्फ 500 रुपए का ही मनी ऑर्डर मिला है। यह लिखे जाने तक (सितम्बर 2014 तक) चकरी देवी को 3000 रुपए नहीं मिले और इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं है।

पिछले आठ वर्षों में खारडी गांव की गोमती देवी ने कम से कम नौ बार विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। आवेदनों के साथ में 45 पासपोर्ट आकार के फोटो और विविध सहायक दस्तावेजों की 80 प्रतियां लगाने की बात बताते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। वे कई बार पंचायत और पटवारी से मिल चुकी हैं और उनका अनुमान है कि अब तक आवेदन प्रक्रिया में करीब 5000 रुपए खर्च कर चुकी हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान और पेंशन महा अभियान में भी उन्होंने आवेदन किया था।

जुलाई 2014 में, उसने अपना मामला रात्रि-चौपाल (शिकायत पंजीकरण और निवारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर शाम को आयोजित बैठक) में तहसीलदार के सामने पेश किया था।

तहसीलदार ने इस बारे में ग्राम सेवक से जवाब मांगा। ग्राम सेवक ने बताया कि चार महीने पहले ही उसे इस ग्राम पंचायत मे हस्तांतरित किया गया था इसलिए उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तहसीलदार ने ग्राम सेवक को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो

सके उतनी जल्दी औपचारिकताओं को पूरा करके आवेदन प्रस्तुत करे।

इस घटना के दो महीने बीतने के बाद भी आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में पड़ा है। कोई भी कर्मचारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आवेदक और पेंशन धारक अनिश्चितताओं की स्थिति में रहते हैं और जल्द ही पेंशन मिल जाएगी यह सोचकर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं।

**तालिका नं. 1: पाँच ग्राम पंचायतों के नौ गांवो में विकलांगता के प्रकार और स्थिति**

**विकलांगता का प्रकार वयस्कों की संख्या प्रमाण पत्र है पेंशन मिलती है**

एक से अधिक विकलांगता 5 1 0

मानसिक मंदता 11 4 4

लोकोमोटर 18 4 2

दृष्टि दोष 2 1 0

देखने और सुनने में कमी 2 2 0

अन्य 9 4 4

कुल 47 16 10

पेंशन में कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं

पेंशन में कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं इस प्रकार हैं:

(1) आवेदकों को उनके आवेदन रद्द होने और रद्द होने के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता,

(2) पेंशन धारकों की पेंशन बंद करने से पहले उन्हें सूचित नहीं किया जाता,

(3) लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन न होना पेंशन को निलंबित करने का मुख्य कारण होता है,

(4) पटवारी कब और किस समय ग्राम पंचायत में आएंगे यह तय नहीं होता और लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती,

(5) पेंशन आवेदकों को रसीद नहीं दी जाती, और

(6) सरकार द्वारा आयोजित शिकायत पंजीकरण और निवारण शिविर में मौखिक आदेश जारी किये जाते हैं, लेकिन बाद में उनका पालन नहीं किया जाता।

सरकार इस व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दे, तो इन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। कार्यालय प्रबंधन के सामान्य परिचालन के अनुसार, ग्राम पंचायत में जो भी आवेदन आए उसका पंजीकरण होना चाहिए और अनुमोदित करने वाले अधिकारी के पास पहुंचाया जाए तब उसकी प्रेषण संख्या के साथ आवक-जावक रजिस्टर में प्रविष्टि होनी चाहिए। आवेदन फार्म के साथ ही छिद्रित रसीद भी हो सकती हैं जिसे आवेदन लेने के बाद आवेदक को दी जा सके।

राजस्थान पेंशन नियम, 2011 के अनुसार आवेदन करते ही आवेदक को तारीख के साथ एक रसीद दी जाएगी। पेंशन नियम 2011 (क़09/05/12/01 जनरल/2014-14/9578, खंड 4, नियम 5, उपनियम 7) में किए गए संशोधन के अनुसार रद्द की गई सभी रसीदों को रद्द करने के कारण के साथ बीडीओ कार्यालय में दर्शाना चाहिए। सभी आवेदकों को उनके अनुरोध को रद्द किए जाने के कारण को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। रद्द आवेदनों की सूची ग्राम पंचायत में भी उपलब्ध नहीं होती।

आवेदक को आवेदन जमा करने के दो महीने बाद भी पेंशन की स्थिति के बारे में जानकारी या रद्द करने के कारण के बारे में नहीं बताया जाए तो वह जिला कलेक्टर से संपर्क कर सकता है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2012 में यह समय सीमा 90 दिन है।

राजस्थान लोक सुनवाई अधिनियम 2012 के द्वारा इस प्रावधान की पुष्टि की गई है। पेंशन प्राप्तकर्ता मौजूद है, और हर साल उनके पते की पुष्टि करनी होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता (एसजेई) विभाग इसके लिए आदेश जारी करता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी या मार्च में वित्त कार्यालय ग्राम पंचायत के अनुसार पेंशन धारकों की सूची तैयार करता है और संबंधित ग्राम पंचायतों में भेजने के लिए सूची को जिला पंचायत में भेजा जाता है। ग्राम सचिवालय में सत्यापन की जिम्मेदारी ग्राम सेवक और सरपंच की होती है। सत्यापन के बाद सूची को पंचायत द्वारा वित्त कार्यालय को वापस भेजा जाता है। वित्त कार्यालय को सत्यापित सूची समय पर नहीं मिले तो वह पेंशन रोक देता है।

आवेदन फार्म ग्राम पंचायत में मुफ्त में मिलना चाहिए। फोटोकोपी की दुकानें नोटरी द्वारा प्रमाणित फॉर्म 35 से 50 रुपए में

बेचती हैं। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के पांच फोटो लगाए जाते हैं। अन्य सहायक दस्तावेजों में आयु, पहचान, पते के प्रमाण शामिल है, जिसके लिए मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड महत्वपूर्ण हैं।

विधवा, तलाकशुदा और एकल महिला जैसे उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक दस्तावेज आवश्यक हैं, जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अदालत का आदेश या लंबित अदालती मामले। विकलांग व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। भरे हुए आवेदन पत्र को सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा सत्यापित किया जाता है। भूमि और आय का सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाता है। लोगों के बताए अनुसार इस काम में काफी समय और मेहनत लगती है। सत्यापन के अगले चरण में राजस्व निरीक्षक शामिल होता है जिसमें भी बहुत ज्यादा समय लगता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आवेदक के 500 रुपये के आसपास खर्च हो जाते हैं। आमतौर पर, आवेदक अपना आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करता है, वहां से वह आवेदन आगे की कार्रवाई के लिए बीडीओ कार्यालय को भेजा जाता है। आवेदन खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को भी सीधे प्रस्तुत किया जा सकता है।

राजस्थान में विकलांगता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूडी) के लिए भी पेंशन के प्रावधान हैं यह लोगों को नहीं पता था। इस प्रक्रिया के दौरान 57 विकलांग वयस्क पहचान में आए। इनमें से 31 व्यक्तियों के पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था (तालिका नं.1 को देखें)। इन गांवों में 6 से 14 साल के उम्र के 37 बच्चों में विकलांगता थी। इनमें से 30 बच्चों के पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत बालोतरा में अगस्त 2014 के दौरान, चिकित्सा परीक्षण और मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया था, लेकिन बोलने-सुनने की कमी वाले बच्चों और मानसिक मंदता विशेषज्ञ नहीं आने से वे बच्चे प्रमाणीकरण से वंचित रह गए थे।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2009 में संशोधन के पश्चात् पीएचसी और सीएचसी स्तर के चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्पष्ट नज़र आने वाली विकलांगता के लिए प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है और नज़र नहीं आने वाली विकलांगता के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार विशेषज्ञ के पास है। सिर्फ एक से अधिक विकलांगता के मामले में ही बहु-सदस्यीय बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि, बाड़मेर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक के अनुसार या एक ही विशेषज्ञ द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र और गांव या अभियान में बनाया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। बाड़मेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया था कि वे आवेदकों को जोधपुर भेजते हैं।

सूचना तक पहुंच

पेंशन से संबंधित दीवार लेखन या जागरूकता के लिए बनाए हर माध्यम में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा, आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले सहायक दस्तावेजों और सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ों के बारे में भी बताना चाहिए। आवेदन जमा कराने पर रसीद मांगने का भी उल्लेख होना चाहिए। राजस्थान में ग्राम सचिवालय की तारीख तय है। आवेदन प्रपत्र और सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक जैसे सत्यापन अधिकारी इस निश्चित तारीख को ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हों तो आवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने में कम समय लगेगा और आवेदन कर्ताओं के खर्च में भी कमी आएगी।

ग्राम सेवक और पटवारी जिस तारीख और समय को उपलब्ध हों उसे उनके फोन नंबर के साथ ग्राम पंचायत की दीवारों के बाहर प्रदर्शित करना चाहिए। स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि पेंशन हर महीने पेंशन धारक तक पहुँच जानी चाहिए। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नियत समय सीमा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। विकलांगता प्रमाण की प्रक्रिया को भी कवर करना चाहिए और ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

पेंशन नियमों में और राजस्थान सुगम टोल फ्री हैल्पलाइन में शिकायत पंजीकरण और निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है। सुनवाई का अधिकार अधिनियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेंशन मंजूर हुई या नहीं, क्यों रद्द हुई या किसलिए रोकी गयी है, आदि प्रश्नों के लिए जिन अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क किया जाता है, यदि वे सही जानकारी दें, सही प्रतिक्रिया दें, तो बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है।

शंकरनाथ को पेंशन मिलती है, जबकि उसकी पत्नी शांति की

पेंशन करीब एक साल से रोक दी गई है। वित्त कार्यालय से संपर्क करने पर हमें बताया गया कि पति और पत्नी संयुक्त पेंशन धारक थे। यदि शांति अपना पुराना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रस्तुत करे तो उनका भुगतान शुरू हो जाएगा, लेकिन शांति को यह जानकारी नहीं दी गई थी। भोमाराम मानसिक विकलांग है। जब प्रमाणीकरण के लिए उसे बाड़मेर ले जाया गया, तो यह कहकर पेंशन देने से इनकार कर दिया कि उनकी मानसिक विकलांगता 40 प्रतिशत से कम है।

22 वर्षीय धापु में एक से अधिक विकलांगता हैं और वे रोजमर्रा के काम के लिए अन्य पर निर्भर हैं। दो साल पहले उसकी पेंशन शुरू हुई थी, लेकिन अगस्त 2013 के बाद उसकी पेंशन बंद कर दी गई। उसके माता-पिता ने जब ग्राम सेवक से संपर्क किया तो उसने यह कहकर रवाना कर दिया कि इसके लिए उसे ब्लॉक मुख्यालय जाना होगा क्योंकि पेंशन वहाँ से दी जाएगी। इसके बाद धापु के माता-पिता ने कोई भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि धापु को ब्लॉक मुख्यालय ले जाना उन्हें मुश्किल लगा।

पेंशन की प्राप्ति अनियमित होती है और चार से छह महीने लग जाना आम बात हो गई है। कई बार पेंशन धारक, पांच-छह महीने का पेंशन एक साल के बाद प्राप्त करता है। लोग मनीऑर्डर की रसीद के आधार पर अपनी पेंशन को याद रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की देरी को सामान्य देरी माना जाता है और इसलिए आमतौर पर छह से आठ महीने तक वे पूछताछ नहीं करते। इतना समय बीतने के बाद वे डाकिया से पूछना शुरू करते हैं। इसलिए, कुछ महीनों के बाद पेंशन मिलेगी या पेंशन को किसी कारण से बंद कर दिया गया है, इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। इसके बाद कुछ पेंशन धारक अपने पीपीओ के साथ वित्त कार्यालय में जाते हैं, वहां उनको जवाब मिलता है कि वार्षिक लाभार्थी सत्यापन नहीं होने के कारण उनकी पेंशन रोक दी गई है। उनकी पेंशन फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन बीच के महीनों के पैसे नहीं मिलते। पेंशन धारक को कई बार कहा जाता है कि वित्त कार्यालय (ट्रेजरी) से पेंशन दे दिया गया है।

हकीकत में, भुगतान किस व्यक्ति को हुआ है इसकी जांच करने का कष्ट कोई नहीं करता। पेंशन धारक अक्सर यह शिकायत करते हैं कि डाकिया उनके पैसे में गड़बड़ी करता है। डाकिया के द्वारा पैसे देने से गांव के लोग उसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं। डाकिया स्वयं घर नहीं जाता है, बल्कि लोगों को पोस्ट ऑफिस में बुलाता है। पेंशन देते समय निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी रखने में ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

पेंशन देना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी है। वह आवेदन पत्र प्रकाशित करता है। स्वीकृति, कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी ब्लॉक पंचायत के अधिकारियों की है। पेंशन भुगतान करने की जिम्मेदारी विभाग के वित्त विभाग (ट्रेजरी) की होती है और राजस्थान में आमतौर पर मनीऑर्डर का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। इस काम में शामिल प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका स्पष्ट होने के बावजूद कोई ठोस अंतर-विभागीय जवाबदेही नहीं है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शिकायत होने से निश्चित रूप फर्क पड़ेगा। शायद, प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण लाखों गरीबों की पेंशन उनके जीरो बैलेन्स वाले खाते में प्रभावी ढंग से पहुँचेगी। भुगतान होने तक आवेदनों की गतिविधि की ऑनलाइन निगरानी शुरू हो गई है। इस काम को लाभार्थी को भुगतान की रसीद मिलने तक विस्तार करने की जरूरत है। भुगतान रसीदों को वित्त कार्यालय (ट्रेजरी) तक पहुंचाया जाता है लेकिन उसे कभी भी सत्यापित नहीं किया जाता। पांचपद्रा ट्रेजरी के अनुसार, एक महीने में लगभग 25,000 से 30,000 रसीदें आती हैं, और उनकी जांच करने के लिए उसके पास स्टाफ नहीं है।

सार्वजनिक सेवाओं तक गरीबों की पहुँच के अनुभव

**जानकारी का प्रसार करने के तरीकों में सुधार की जरूरत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के मामले**

गुजरात के साबरकांठा जिले के विजयनगर और खेडब्रह्मा/पोशिना तहसीलों की चयनित ग्राम पंचायतों में प्रभावी रूप से सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अनुभव के आधार पर इस लेख को 'उन्नति' के सुश्री दीपा सोनपाल द्वारा लिखा है।

गांवों की यात्रा के दौरान, समुदाय से यह सवाल किया गया कि ऐसे कौनसे दो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे कार्यक्रम उन तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने तुरंत कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा)। क्षेत्र (फील्ड) स्तर पर विचार- विमर्श के आधार पर पाया गया कि सरकार द्वारा सर्व श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद कई महत्वपूर्ण जानकारी गरीब वर्गों तक नहीं पहुँच सकी हैं, जो गरीबों तक इन कार्यक्रमों के पहुँचने के रास्ते में एक बाधा होती है।

**आर.एस.बी.वाई. कार्ड की प्रामाणिकता के बारे में सूचना:**

विभिन्न परिवारों के साथ बातचीत के जरिए पता चला कि अप्रैल 2014 से गरीबी रेखा (बीपीएल) वाले लगभग किसी भी परिवार ने आर.एस.बी.वाई. स्मार्ट कार्ड का उपयोग नहीं किया। यह स्मार्ट कार्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिससे गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को सरकार द्वारा   
मान्य किसी भी अस्पताल में कम से कम 24 घंटे के लिए भर्ती रहने पर 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाता है।

पुराने कार्ड को हर वर्ष अप्रैल में नवीकरण के लिए मई 2014 में आर.एस.बी.वाई. टोल फ्री हैल्पलाइन से संपर्क किया गया। इस हैल्पलाइन से पता चला कि कार्ड की मान्यता 31 मार्च 2014 को समाप्त हो गई, और नवीनीकृत करने के बाद ही कार्ड वैध माना जाएगा। लेकिन नवीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होगी यह स्पष्ट नहीं किया।

जिला स्तर पर भी इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि नवीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। अगस्त में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निदेशक से संपर्क करने पर उन्होंने आर.एस.बी.वाई. कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) के साथ बात करने को कहा। पीओ ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हैल्पलाइन और सभी स्तर के अधिकारियों को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि आर.एस.बी.वाई. कार्ड की वैधता को बढ़ा दिया गया है और सरकारी परिपत्र जारी किया गया है।

जब अधिकारी ने अपनी पहचान छुपाकर कार्ड के उपयोग पर मार्गदर्शन चाहने वाले एक ग्राहक के रूप में हैल्पलाइन पर फोन किया और कार्ड की वैधता बारे में पूछताछ की तो उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे कार्ड की वैधता को बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने हैल्पलाइन पर बात की तो ऑपरेटर ने वही जवाब दिया जो वह पिछले पांच महीनों से अन्य लोगों को दे रहा था। फोन करने वालों को हैल्पलाइन से बताया जाता था कि पिछले वर्ष जारी कार्ड समाप्त हो गया है इसलिए मान्य नहीं है। जो व्यक्ति कार्ड का उपयोग करना चाहता है, उसे इसका नवीकरण करवाना होगा। ऑपरेटर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस कार्ड का नवीकरण कैसे होगा। जानकारी प्रदान करने में इस कमी का पता चलने पर अधिकारी उलझन में पड़ गए और हैल्पलाइन पर्यवेक्षक और ऑपरेटरों की बैठक आयोजित करके नई जानकारी जारी करनी पड़ी। नया नोटिस जारी करने तक पिछले वित्तीय वर्ष में जारी मौजूदा कार्ड के तहत इस योजना के लाभों को वैध माना जाएगा।

**पीडीएस के तहत राशन का लाभ उठाने के लिए बारकोड कूपन और बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण:**

विजयनगर में अप्रैल, 2014 के शुरू में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं को पाने की चर्चा के दौरान हमें पता चला कि बीपीएल परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे जावन यापन करने वाले) को बारकोड कूपन पाने के लिए एक पृष्ठ के प्रिंटआउट के लिए पांच रुपये और दो पृष्ठ के प्रिंटआउट के लिए 10 रुपए का भुगतान किया था।

बारकोड कूपन बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर वेब आधारित प्रणाली से बनती है जो यह दिखाती है कि पीडीएस दुकान से परिवार को कितना राशन मिल सकता है। ये प्रिंटआउट आम तौर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, प्रत्येक पंचायत गांव में निजी स्वामित्व वाले कम्प्यूटर उद्यमी (वीसीई) के पास उपलब्ध इंटरनेट सुविधा से लिए जाते हैं। गांव में यह एकमात्र इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती है। नियम के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान के मालिक द्वारा प्रत्येक कार्ड धारक से ली गई यह राशि बिल की राशि में से कम कर दी   
जाती है। पीडीएस दुकान मालिक को सभी कूपनों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रस्तुत करके वहां से कुल राशि लेनी होती है।

गांधीनगर सचिवालय में नागरिक आपूर्ति निदेशक से संपर्क करने पर पता चला कि इस व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है। बार कोड कूपन प्रिंट आउट को चार भागों में बांटा गया है, दो भाग कार्ड धारक के लिए और शेष दो भाग पीडीएस दुकान मालिकों के लिए होते हैं। कूपन के बीच में यह छापा गया है कि बीपीएल परिवारों को यह कूपन राहत पर दिया जाता है, लेकिन इस बात को सभी हितधारकों द्वारा नजर अंदाज किया जाता है। ब्लॉक और जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ इस बारे में बात करने पर पता चला कि इस प्रक्रिया पर अमल नहीं किया जाता, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। बारकोड कूपन चार वस्तुओं - गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल खरीदने के लिए होती हैं। कई कार्ड धारकों को दो पृष्ठों में प्रिंट आउट मिलता है, जिसके लिए उन्हें दूसरे पेज के लिए पांच रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक ने कूपन को एक पेज में ही छापने की गारंटी दी थी। ऐसा करने से राज्य के प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने पांच रुपये की बचत होगी। साबरकांठा जिले के कलेक्टर ने नई पहल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों और वीसीई आउटलेट पर यह सूचना लिखवाई कि कूपन बीपीएल परिवारों के लिए राहत दर पर उपलब्ध है।

जननी सुरक्षा योजना के अनुभव

**राजस्थान में संस्थागत प्रसव सेवा तक पहुंच तथा 1400 रुपए की देय राशि प्राप्त करने के लिए पहचान के सबूत की समस्या**

'जननी सुरक्षा योजना' के तहत संस्थागत प्रसूति के साथ जुड़ी प्रक्रिया के बारे में यह लेख 'उन्नति' के सुश्री परिधि यादवद्वारा लिखा गया है। यह लेख राजस्थान के बाड़मेर जिले में संस्थागत प्रसूति सेवाएं प्राप्त कर चुकी ग्रामीण महिलाओं के साथ की गई चर्चा पर आधारित है।

राजस्थान के एक गांव की महिलाएं स्टेट बैंक की शाखा के बाहर बैठी हैं। आग बरसती गर्मी में ये महिलाएं खूबसूरत पोशाकें पहनकर छाती तक घूंघट तानकर बैठी हैं। यह सार्वजनिक स्थान है और अधिकांश महिलाओं को ऐसे स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होने से वे इसी में व्यस्त हैं कि कहीं घूंघट नहीं उतर जाए। घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने वाली महिलाओं को स्थानीय बैंकों तक लाने का कुछ श्रेय तो जननी सुरक्षा योजना को भी जाता है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संस्थागत प्रसूति करवाने वाली महिलाओं को 1400 रुपए की राशि (राजस्थान में) दी जाती है। यह भुगतान चेक द्वारा किया जाता है।

इस योजना के कार्यान्वयन के बाद भारतीय समाज की कई कड़वी सच्चाइयां और असफलताएं सतह पर आ गई हैं। बाड़मेर जिले के एक तहसील में ही महिलाओं को संस्थागत प्रसूति के बाद जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने के कई उदाहरण मौजूद थे। कार्यान्वयन की विफलता का विश्लेषण करने पर पता चला कि महिलाओं का बैंक खाता नहीं होना इसका सबसे बड़ा कारण है। इस राज्य में काफी कम उम्र की लड़कियों शादी कर दी जाती है और युवतियां 18 वर्ष की आयु से पहले एक संतान की माता भी बन जाती हैं। कई अन्य महिलाओं के पास, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आदि पहचान के मूल दस्तावेज भी नहीं होते।

राजस्थान के दूरदराज के जिलों में महिलाएं पहचान से वंचित हैं, इस समस्या के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। एक बैंक खाता खोलने के लिए महिला का मतदाता आईडी या आधार कार्ड और राशन कार्ड में उसका नाम (जो फोटो पहचान पत्र और पते का सबूत हो सकता है) - इन दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। एक औरत की शादी होने के काफी समय बाद भी कोई उसके दस्तावेजों को व्यवस्थित करने की मुसीबत मोल नहीं लेता। युवती की शादी हो जाने के कारण उसके माता पिता उसका कोई पहचान पत्र नहीं रखते। और अगर शादी से पहले किसी औरत के पास मतदाता आईडी हो तो भी उसका अर्थ नहीं होता (क्योंकि पता बदल गया होता है)। लेकिन, ऐसा शायद ही होता है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की 14-18 की उम्र के बीच शादी कर दी जाती है, अतः इस उम्र में उन्हें मतदाता आईडी नहीं मिल पाता।

इसके अलावा, अधिकांश मामलों में महिलाएं अपनी शादी के एक साल के भीतर गर्भवती हो जाती हैं, जिसके स्वास्थ्य से संबंधित असर तो होते ही हैं, परंतु वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में, राशन कार्ड में उस औरत का नाम लिखाने के लिए या अन्य कोई दस्तावेज पाने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। इस प्रकार, चेक प्राप्त करने पर, जब वह चेक कैश कराने की बारी आती है तब उसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। इन सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा होने तक चेक की समय सीमा पूरी हो जाती है या परिवार को चेक का लाभ प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि, इन सभी प्रक्रियाओं पर खर्च प्राप्य लाभ राशि से अधिक हो चुका होता है।

ऊपर सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी लंबी या मुश्किल न भी हो, लेकिन कुछ बाधाएं जरूर हैं। अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए विवाह के प्रमाण को मूलभूत दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन, शादी के प्रमाण पत्र के लिए उम्र का सबूत होना आवश्यक है। अब, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को उम्र के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लड़कियों ने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की हो उन के पास उम्र का साक्ष्य नहीं होता। स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए शादी के प्रमाण पत्र के बिना कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना बहुत कठिन है। और, जैसा पहले उल्लेख किया है कि 18 साल से कम आयु की लड़कियों की शादी कर दी जाती है।

एक उल्लेखनीय समस्या यह है कि बैंक जानते हैं कि केवल जेएसवाई योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ही महिला का खाता खोला जाता है और उसके बाद उस खाते का कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए, जेएसवाई के तहत महिलाओं का खाता खोलने के लिए बैंकों का रुख भी उदासीन होता है।

केवल योजना के बजाय उसकी प्रक्रिया के बारे में भी जागरूकता फैलाकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। परिवार की महिलाओं के लिए सही दस्तावेजों को प्राप्त करने के महत्व को लोगों को समझाने के लिए जेएसवाई प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकती है। खानोडा गांव में एएनएम कल्पना ने एक अभिनव पहल की है, जिसके अनुसार वह सभी गर्भवती महिलाओं को जेएसवाई का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देती है।

इसके अलावा, कल्पना यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश करती है कि महिलाओं को प्रसूति से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज मिल जाएं। लेकिन केवल 50 प्रतिशत महिलाएं ही अस्पताल में प्रसूति करवाती हैं, इसलिए शेष 50 फीसदी महिलाएं जेएसवाई के लाभों से वंचित रह जाती हैं, फिर भी यह एक प्रोत्साहक शुरुआत कही जा सकती है। मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, बैंक में खाता इन सभी दस्तावेजों तथा व्यवस्थाओं से जो महिलाएं वंचित हैं उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिल ही नहीं पाता, लेकिन महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखने का एक बुनियादी कारक भी है।

यह समग्र अनुभव, नीति निर्माताओं और कार्यक्रम लागू कर्ताओं की वास्तविकता की निरी अज्ञानता को सामने लाता है। हमारा देश निश्चित रूप से वित्तीय समावेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार ने 'भामाशाह वित्तीय समावेशन योजना' (बीएफआइएस) शुरू की है जिसमें महिलाओं को परिवार का बैंक खाता धारक माना जाता है। यह योजना वर्ष 2014 में पुन: आरंभ की गई है।

यह योजना महिलाओं को आगे बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय और आर्थिक स्वतंत्रता अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है और इसलिए बीएफआइएस अन्य योजनाओं की तुलना में अलग है। अधिकांश कल्याण और इस तरह की अन्य सरकारी योजनाओं में आमतौर पर मुखिया पुरुष होता है। जबकि बीएफआइएस में परिवार का मुखिया महिलाओं को माना जाता है। इस योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बीपीएल, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनके घरों से 3-5 किमी के भीतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके उन्हें बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया जाता है।

इन परिवारों की महिलाओं के नाम पर बैंक खाता खोला जाएगा और उस खाते को बायोमीट्रिक पहचान से संचालित किया जाएगा। यह बैंक खाता स्थायी रूप से सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और किसी भी सरकारी क्रेडिट योजना के लाभ के लिए अधिकृत खाता माना जाएगा। इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं का स्वागत है, लेकिन 18 साल से कम उम्र में मां बनने वाली हजारों लड़कियां उन्हें मिलने वाले लाभ कैसे प्राप्त कर सकेंगी इस बारे में गहन विचार करने की आवश्यकता है। क्या कम उम्र में मां बनने वाली महिलाओं को उनके लाभ से वंचित करके, हम उन्हें दंडित करना चाहते हैं? ऐसा किया जाता है, तो यह कदम संस्थागत प्रसूति और उसके बाद माँ और शिशु देखभाल और सुरक्षा के लिए काफी निरुत्साहक होगा। कई परिवर्तनों के साथ और चुनौती के साथ हमारा समाज तेजी से बदल रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना:

**प्रमाणपत्र के प्रभावी वितरण के लिए कार्यालय के कार्य को पुनःनिर्धारित करना**

साबरकांठा जिले के सिविल अस्पताल द्वारा गुजरात के विजयनगर और खेडब्रह्मा/पोशिना तहसीलों की सीएचसी में आयोजित विकलांगता प्रमाणन शिविर के अनुभवों के आधार पर यह लेख सुश्री दीपा सोनपाल, सुश्री नेहा पंड्या, सुश्री गीता डोडिया, श्री थेपा परमार व श्री भाविन मेकवान द्वारा लिखा गया है। इन शिविरों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर कुछ बदलावों की सिफारिश की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए लगातार सहयोग करने के लिए हम सीडीएमओ, डीडीओ और जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं।

गुजरात के साबरकांठा जिले के खेडब्रह्मा (पोशिना) और विजयनगर तालुकों में विकलांग लोगों की संख्या काफी अधिक है। विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्पष्ट विकलांगता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) से, या सिविल अस्पताल से सिविल सर्जन या रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी (आरएमओ) से या स्वास्थ्य विभाग से विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर समय-समय आयोजित खास शिविरों से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। चिकित्सक या अधिकृत विशेषज्ञ को व्यक्ति की कम से कम 40 फीसदी विकलांगता प्रमाणित करना आवश्यक होता है। इसके बाद विकलांग व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी पहचान कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है, तभी वे किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं।

आम तौर पर, प्रमाण पत्र सत्यापन दर प्रति शिविर 5-10 होती है। हाल ही में आयोजित दो शिविरों में, विजयनगर में 31 व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया और पोशिना में 48 व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया। 15 और व्यक्तियों की विकलांगता का मूल्यांकन किया गया और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनके माता-पिता को हिम्मतनगर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कहा गया था। शिविर आयोजित करने से पहले ग्राम स्तर पर निर्धारित नागरिक नेताओं (सीएल) और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने शिविर के बारे में समुदाय के स्तर पर प्रचार-प्रसार किया था।

शिविरों का आयोजन करने के लिए जिला सिविल अस्पताल समय-समय पर जिला स्तर पर हर तालुका के लिए तारीखें तय करता है और डॉक्टरों की टीम को भेजता है। इस टीम में नेत्र विशेषज्ञ, ईएनटी, मानसिक रोग विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक जैसे विशेषज्ञ शामिल किए जाते हैं, ताकि सभी तरह के विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणित किया जा सके। ऑनलाइन जारी किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र बनाने का दायित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गांधीनगर स्थित गुजरात एबिलिटी के अधिकारियों की है। कैंप के लिए साज-सामान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सीएचसी के आवासीय चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारी (बीएचओ) की होती है।

इन शिविरों में यह पाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक विकलांग व्यक्तियों और उनके साथ आए लोगों को सीएचसी पीएचसी तक लाने-लेजाने की सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है या ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (संजीवनी समिति) रोगी कल्याण समिति के उपलब्ध धन का उपयोग करके वाहन किराए पर लिया जा सकता है। सर्जन और विशेषज्ञ सुबह के बाद शिविर में आते हैं और उन्हें शाम को ओपीडी में उपस्थित रहना होता है इसलिए शिविर में उन्हें अपने कार्यों को निपटाने की जल्दी होती है।

हालांकि प्रमाण पत्र होने के बावजूद शिविर में पंजीकरण करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी क्योंकि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपर्याप्त जानकारी रखने वाले आशा और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एफएचडब्ल्यू) ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। कई अन्य विकलांग लोग सही जानकारी के अभाव आवश्यक दस्तावेज साथ नहीं लाए थे। मूल राशन कार्ड साथ नहीं लाने से उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला। प्रमाणन के समय मूल राशन कार्ड को पेश करने के लिए आवश्यक है यह जानकारी किसी भी दस्तावेज़, जीआर, परिपत्र, आदेश वेबसाइटों पर नहीं रखी गई थी।

शिविर में मौजूद डॉक्टरों की टीम ने मानसिक रूप से अस्थिर, लोकोमोटर विकलांगता तथा दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन किया था। श्रवण दोष वाले व्यक्तियों को ऑडियोग्राम के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भेजने की सिफारिश की गई थी।

विकलांगता के प्रमाण पत्र के लिए शिविरों में प्रमाणन के लिए शिविरों के प्रभावी संचालन के लिए कई मुद्दे सामने आए थे।

1. शिविर की तारीख और जगह का बड़े पैमाने पर प्रचार करना आवश्यक है। शिविर में सत्यापन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों और पहचान के सबूत के बारे में विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को जानकारी प्रदान करना जरूरी है। निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं - मूल राशन कार्ड और उसकी दो प्रतियां और दो पासपोर्ट आकार के फोटो, सत्यापन के लिए विकलांग व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में होना आवश्यक है। शिविर की तारीख, स्थान के साथ ही शिविर में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण दर्शाती एक लिखित घोषणा ग्राम पंचायत कार्यालय, पीएचसी, उपकेन्द्र, संपर्क केंद्र और प्राथमिक विद्यालय में लगाई जा सकती है। विभिन्न सरकारी कर्मचारी और पंचायत, ग्रामीण, जिला स्तर के नेता इसका और प्रचार-प्रसार कर सकते हैं।

2. शिविर के बारे में गांव के लोगों को जानकारी प्रदान करने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एफएचडब्ल्यू), आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल के शिक्षकों को विकलांगता के बारे में, विशेष रूप से प्रारंभिक दौर में, विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है।

3. विकलांग व्यक्तियों को पास के सीएचसी पहुंचाने की व्यवस्था के लिए पीएचसी की सहायता मिलना जरूरी है, इसलिए वीएचएसएनसी, और रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को बताया जा सकता है (साबरकांठा जिले के कलेक्टर यह परिपत्र जारी करने के लिए सहमत हुए हैं)।

4. विकलांगता प्रमाणन शिविर के बारे में प्रोटोकॉल (नियम, कानून) विकसित किया जा सकता है, जिसमें यह विवरण होगा कि विकलांग व्यक्तियों को सीएचसी में कैसे एकत्र किया जाएगा और उनका पंजीकरण कैसे किया जाएगा। (प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेषज्ञ टीम के आने से पहले यह काम हो जाना चाहिए)। सीएचसी की भूमिका को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन में मदद के लिए विशेषज्ञ को सीएचसी में स्थानीय कर्मचारियों की मदद मिलना जरूरी है। विशेषज्ञ का समय साज-सामान की व्यवस्था करने में, पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने में, लाइन पर नजर रखने और रोगी को संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजने में लगाने के बदले रोगियों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

5. शिविर के लिए रोगियों का पंजीकरण करने और रोगी को संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए मार्गदर्शन में सीएचसी स्तर के कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे पहले कि विकलांग व्यक्ति डॉक्टर से मिले किसी कर्मचारी द्वारा उनके दस्तावेजों को सत्यापित करना आवश्यक है। प्रमाणन के बाद, जिनका प्रमाणन नहीं हुआ उनके मामलों के अनुसार सर्जरी या उपचार सुनिश्चित करने के लिए इन व्यक्तियों की एक अलग सूची बनाना आवश्यक है।

6. श्रवण दोष वालों का प्रमाणन ऑडियोग्राम के बिना संभव नहीं है, और ऑडियोग्राम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ही उपलब्ध है। इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराने के बाद ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। श्रवण दोष वाला व्यक्ति शिविर में आए तो सिर्फ प्रारंभिक जांच ही की जाती है। यदि हिम्मतनगर के जिला अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट के साथ ऑडियोमीट्रिक सुसज्जित कमरा बनाया जाए, तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। अन्यथा, विकलांग व्यक्ति और उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए अहमदाबाद तक की परिवहन की व्यवस्था करके या यात्रा भत्ता देकर ऑडियोमिट्री की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

7. विकलांग व्यक्तियों को अपने अधिकारों का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहला कदम प्रमाणन है। इसके बाद ही वह विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार, तीन फीसदी आरक्षण के तहत रोजगार के अवसरों की विशेष सुविधा, मुफ्त बस पास, सहायता और छात्रवृत्ति के लिए पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी पहचान कार्ड प्राप्त करना होता है जो एक अलग प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में से लेकर आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद मामलतदार कार्यालय से बीस रुपये के स्टैंप पेपर पर मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित, आदमकद (पूरी) पोस्टकार्ड आकार का फोटो और दो डाक टिकट आकार के फोटो के साथ जमा करना होता है।

यह योजना 2.50 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय वालों के लिए लागू है, लेकिन सरकार ने 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जिला स्तर के अधिकारियों को इस संकल्प के बारे में जानकारी नहीं है, और पहचान पत्र प्राप्त करने वाले फार्म में इस बारे में स्पष्टता नहीं है। गांधीनगर में समाज सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह सवाल सामने आया था।

8. विकलांग प्रमाण पत्र और पहचान पत्र - दो प्रकार के कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया अनावश्यक है और एक ही सेवा कार्ड प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को एकीकृत करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस बारे में और विभिन्न राज्यों में विकलांगता के मुद्दे पर प्रमाण पत्र की वैधता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। इस बारे में नीति का मसौदा प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

9. जिन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, और जिनकी विकलांगता की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष उपचार की जरूरत हो उन व्यक्तियों को उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को सर्जरी की सिफारिश की गई हो, उन्हें उनकी हालत के बारे में जानकारी प्रदान करना और सहायता प्रदान करने की जरूरत है। (उदाहरण के लिए, हाल ही में आयोजित एक शिविर में एक मरीज को नेत्र विशेषज्ञ ने शामलाजी जनरल अस्पताल में सर्जरी कराने को कहा और डॉक्टर का नाम भी बताया और अपने नेत्र विशेषज्ञ दोस्त का संपर्क विवरण भी दिया)।

10. शिविर में हाजिर विशेषज्ञों का ओपीडी शिविर के दिन केवल एक समय ही होना चाहिए ताकि वे शिविर पर पर्याप्त ध्यान दे सकें। इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि उन्हें विकलांगता से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में सूचित किया जाए। शिविर में डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली सेवा, तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित काम को डॉक्टरों के कार्य निष्पादन के मानक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

11. मौजूदा प्रणाली के अनुसार, विकलांगता प्रमाण पत्र मिलने के बाद, व्यक्ति को पहचान कार्ड जिला स्तरीय समाज सुरक्षा कार्यालय में जाने पड़ता है (साबरकांठा के समाज सुरक्षा अधिकारी ने पहचान पत्र जारी करने के लिए अधिकारी को तालुका कार्यालय या पीएचसी में भेजने के लिए सहमत व्यक्त की है)। आदर्श स्थिति यह है कि, विकलांगता प्रमाण पत्र और पहचान कार्ड जारी करने के लिए लाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पर्याप्त जागरूकता फैलाई जाए तो यह काम शिविर में ही पूरा हो जाना चाहिए। पहचान पत्र के लिए आदमकद (व्यक्ति की पूरी तस्वीर) तस्वीर की आवश्यकता होती है, इसके पीछे यह तर्क हो सकता है कि फोटो में विकलांगता को देखा जा सकता है। हालांकि, कई विकलांगता स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती, जिससे पूरे आदमकद तस्वीर की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र में प्रामाणिकता के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो पर्याप्त रूप से स्वीकार्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस मुद्दे पर विचार कर सकता है। शिविर में ही तस्वीर लेने के लिए वेब-कैम का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इससे की विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न आकारों में फोटो लेने से मुक्ति मिल जाएगी।

12. अलग-अलग राज्यों में विकलांग व्यक्तियों की पहचान तथा उसे प्रमाणित करने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग - कलेक्टर, डीडीओ, सीडीएचओ, सिविल अस्पताल, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी,पीएचसी/सीएचसी,एफएचडब्ल्यू/आशा कार्यकर्ताओं, संजीवनी समिति एवं रोगी कल्याण समिति, बीआरसी/सीआरसी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों, प्रिंसिपलों और स्कूल प्रबंधन समितियों, पंचायतों और इसकी विभिन्न समितियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नागरिक नेताओं और स्वैच्छिक संगठनों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत संसाधन शिक्षकों, सामाजिक रक्षा विभाग के बीच के अंत में समग्र सहनिर्देशन होना आवश्यक है। (डीडीओ तालुका स्तर पर प्राथमिक स्तर पर सेवा प्रदाताओं विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए विकलांगता की प्रारंभिक पहचान पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहमत हो गए हैं।)

**आपके लिए**

दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई:

उत्तरदायित्व का सृजन

'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल' रिपोर्ट का यह सार 'उन्नति' के सुश्री स्वप्नी शाह द्वारा तैयार किया गया है। 'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल' भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए नागरिक समाज संगठनों का नेतृत्व करने वाला वैश्विक गठबंधन है। इसके दुनिया भर में 100 से अधिक सदस्य संगठन हैं, और इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बर्लिन में स्थित है।

यह भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभावों के बारे मे जागरूकता फैलाता है और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रभावी कदमों को विकसित करने और लागू करने के लिए सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र और नागरिक समाज के संगठनों की भागीदारी के साथ काम करता है ।

पिछले बीस वर्षों में, दक्षिण एशिया ने सतत विकास किया है और गरीबी दर में कमी आई है, लेकिन उसके सामने भ्रष्टाचार का अनुपात बढ़ा है। 'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल' के वैश्विक बैरोमीटर 2013 के अनुसार, नागरिकों की राय में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है और दो-तिहाई लोग मानते हैं कि पिछले दो साल में देश में भ्रष्टाचार का अनुपात बढ़ा है। केवल 20 प्रतिशत लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई प्रभावी लगती है (जबकि 2011 में यह अनुपात 39 फीसदी था)।

पुलिस और राष्ट्रीय संसद की तुलना में राजनीतिक दलों को सबसे भ्रष्ट माना जाता है। विश्व बैंक के विश्वव्यापी अभिशासन सूचकों के अनुसार - आवाज और जवाबदेही का स्तर (देश के नागरिक किस स्तर तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और किस हद तक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं) सभी छह देशों में 1996 से सबसे कम था। नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों, को लेने में नागरिक सहायक की भूमकिा निभा सकें इसके लिए उन्हें सशक्त बनाने के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है ।

कानून के अनुपालन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण भ्रष्टाचार को रोकने के सरकार के कदम अप्रभावी साबित हुए हैं। छह देशों - बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में भ्रष्टाचार-विरोधी काम करने वाली 70 संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया, इनमें से एक भी संगठन भ्रष्टाचार के खतरे से मुक्त नहीं था। यह रिपोर्ट चुनौतियों को उजागर करता है और दक्षिण एशियाई देशों की सरकारों के सामने प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, सरकार कैसे काम कर रही है, नागरिक इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

2. व्हिसल ब्लोअर्स की सार्थक सुरक्षा के अभाव का मतलब यह होता है कि गलत काम करने वाले अधिकारियों के पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है।

3. भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थाओं के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है तथा सरकार पर निगरानी के कामकाज में न्यायतंत्र को और उन्हें अप्रभावी बनाता है।

4. कुछ कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जबकि अन्य कानूनों का ठीक से लागू नहीं किया जाता। नतीजतन, भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों की प्रभावी जांच नहीं हो पाती और उसे दंडित भी नहीं किया जाता। इसके कारण भ्रष्ट लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता की कीमत पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में पिछले दस वर्षों में सकारात्मक परिवर्तन देखने में आया है। इन सभी छह देशों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते की पुष्टि की है। प्रतिबद्धताओं को सार्थक कार्य रूप में परिवर्तित करने के प्रयत्न करना आवश्यक है। इस बारे में स्थिति और महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:

**सूचना का अधिकार (आरटीआई)**

सूचना का अधिकार का कानून बांग्लादेश, भारत और नेपाल में लागू है, और हाल ही में यह मालदीव में भी लागू किया गया है। अक्सर नागरिकों को अपने सूचना के अधिकार के बारे में पता नहीं होता। जानकारी प्रदान करने के लिए नागरिकों के अनुरोध को सरकारी कार्यालयों में प्रभावी और व्यवस्थित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जैसे, बांग्लादेश में कड़क सूचना का अधिकार अधिनियम होने के बावजूद, एक सर्वेक्षण के आधार पर पता चला कि लोक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने में 29 प्रतिशत नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा था और आठ प्रतिशत नागरिकों को अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना पड़ा था।

श्रीलंका और पाकिस्तान को तत्काल सूचना का अधिकार अधिनियम पास करना चाहिए, जबकि अन्य देशों के मौजूदा कानूनों को कमजोर करने के प्रयासों को जमकर चुनौती देना चाहिए। सभी सरकारों को जानकारी प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करके इस बुनियादी अधिकार का उपयोग करने के बारे में जनता को शिक्षित करके सूचना के अधिकार को सक्रियता से प्रसार करना चाहिए।

**व्हिसल ब्लोअर्स**

बांग्लादेश और भारत में वर्ष 2014 की शुरुआत से ही व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण कानून है। फिर भी, इस कानून को लागू करने में प्रगति लगभग नहीं हुई है और संभावित उपयोगकर्ताओं में इस क्षेत्र में अज्ञानता व्याप्त है।

इसके अलावा, भारत के कानून में अंतरराष्ट्रीय मानकों की भी कमी है। अधिनियम को लागू करने वाले विभाग के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं, शिकायतों की जांच करने और दंडित करने के रिकॉर्ड काफी कमजोर है। बांग्लादेश और भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके व्हिसल ब्लोअर्स कानून का सक्रिय प्रचार-प्रसार किया जाए और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को व्हिसल ब्लोअर्स के संरक्षण के लिए समावेशी कानून का विकास करना चाहिए।

भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयां - भारत और नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयों और श्रीलंका के भ्रष्टाचार विरोधी विभागों और बांग्लादेश के न्याय तंत्र पर राजनीतिक दबाव का चयन करने का आरोप लगाया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली इन स्वतंत्र इकाइयों की सत्ता पर राजनीतिक हस्तक्षेप करके बारंबार नियंत्रण लगाया जाता है। इस कारण से या वरिष्ठ स्टॉफ की निरंतर नियुक्ति और हस्तांतरण के कारण इन संस्थाओं की प्रभावशीलता में कमी आई है। जकार्ता सिद्धांत, मर्राकेश घोषणा और पेशेवरों न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता के बारे में संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों के बाद भी ऐसा होता है।

मालदीव और श्रीलंका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने आप भ्रष्टाचार की जांच करने की और शिकायत करने का अधिकार प्राप्त हो। इन देशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थाओं और न्याय प्रणाली में नियुक्ति, स्थानांतरण और छंटनी का निर्णय किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण संगठन जिन इकाइयों की निगरानी करते हों, उनसे प्रभावित न हों।

दक्षिण एशिया में उत्तरदायित्व के वातावरण

का सृजन

2007 में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थाओं द्वारा व्यापक वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को चुनाव में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड आम जनता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया, जो इन देशों में मजबूत भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही के उदाहरण हैं । इस प्रकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के लिए निचले स्तर से ही दबाव पैदा करना आवश्यक है।

इसलिए नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक दल समग्र समाज में उत्तरदायित्व वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिक समाज और मीडिया को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त अवसर और सुरक्षा मिले। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे उन लोगों के लिए जिम्मेदार हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की इच्छाशक्ति को कुशलता से एकीकृत करने में सक्षम हैं।

संदर्भ

1. “South Asia Overview”, World Bank (web), accessed 28 March 2014.

2. Transparency International, Global Corruption Barometer 2013, (Berlin: Transparency International, 2013).

3. Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies”, Jakarta, 26-27 November 2012

4. “Marrakech Declaration”, The Fifth Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Agencies, Marrakech, Morocco, 22-23 October 2011

5. “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan , 26 August - 6 September 1985

**अपनी बात**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन की स्थिति

'राईट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एन्ड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट' (बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम) 2009 के तहत अधिनियम कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष (2012-13) की स्थिति अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम मंच द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट का यह संक्षिप्त विवरण 'उन्नति' की सुश्री आरती जी., इंडिया फेलो द्वारा तैयार किया गया है।

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) फोरम, एक राष्ट्रीय शैक्षिक नेटवर्क, शिक्षक संगठनों और शिक्षाविदों का समूह है और लगभग 10,000 संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। आर.टी.ई. मंच का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। उनकी वर्तमान रिपोर्ट में आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन से संबंधित के विभिन्न सवालों पर जोर दिया गया है।

आर.टी.ई. फोरम के अनुसार 80 लाख बच्चे अब भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। स्कूल में कभी नहीं जाने वाले इन बच्चों में बाल श्रमिक, घुमंतू समुदाय के बच्चे, प्रवासी बच्चे, संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे और विकलांगता वाले बच्चे जैसे उपेक्षित और वंचित बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ग के बच्चों के लिए अधिक गहन प्रयास करना आवश्यक है। इन असमानताओं को दूर करने और सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के बारे में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका की भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। रिपोर्ट में नीतिगत सिफारिशों में निजी स्कूलों में नियमों के पालन, सामाजिक समावेशकता, स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की भूमिका, शिक्षकों की गुणवत्ता और स्कूल के बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त अध्ययन गुजरात और राजस्थान सहित 17 राज्यों की कुल 2191 स्कूलों (सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त निजी स्कूलों, केवल निजी स्कूलों) में किया गया था। इस रिपोर्ट को प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा एकत्र प्राथमिक और माध्यमिक सूचना के आधार पर और एक खास तरीके से तैयार परिशिष्ट के अनुसार तैयार किया गया है।

इस लेख में राजस्थान और गुजरात में आर.टी.ई. के कार्यान्वयन की स्थिति दिखाई गई है।

1. प्राथमिक शिक्षा उपलब्धता

**प्रयुक्त सूचकांक:**

• स्थलांतरित, घुमंतू और विकलांगता वाले बच्चों का मूल्यांकन। स्थलांतरित और घुमंतू समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवासीय स्कूल जैसी विशेष सुविधाओं का चलन।

• प्राथमिक स्कूलों के लिए 200 दिनों और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 220 दिनों तक स्कूल कार्य दिवस।

• एक किमी की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल और 3 किमी की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक स्कूल।

**महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**

• 41 प्रतिशत स्कूलों में स्थलांतरित बच्चों को भर्ती नहीं किया गया था।

• केवल 3.7 प्रतिशत स्कूलों ने घुमंतू बच्चों को भर्ती किया था।

• 24.7 प्रतिशत स्कूलों ने विकलांग बच्चों का आकलन किया था।

• केवल 0.8 प्रतिशत स्कूलों में आवासीय सुविधा थी।

• 25 प्रतिशत स्कूलें बच्चों पर नजर नहीं रखती थी।

• सर्वेक्षण की गई 15 प्रतिशत स्कूलों ने निर्दिष्ट दिनों की तुलना में कम काम किया था।

• कई स्कूलें गिनती के लिए ही खोली और बंद की जाती थी।

गुजरात की 90 प्रतिशत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलें क्रमशः, एक किमी और तीन किमी के भीतर स्थित थी। इसके अलावा, गुजरात के 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलें स्कूल भवनों के प्रकाशित मानकों के अनुसार सूचकांकों के नियमों का पालन करती थी।

आर.टी.ई. अधिनियम के अभिलक्षण

• भारत में छह से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

• बालक प्राथमिक शिक्षा (8 वीं कक्षा तक की शिक्षा) पूरी नहीं करे तब तक, उसे बोर्ड की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है, इसके अलावा, तब तक किसी भी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोका जाए और स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाए।

• छह साल से अधिक आयु के बच्चे को किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाया गया हो, अथवा उसे प्रवेश दिलाया गया हो लेकिन उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की हो, तो उस बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, इसके लिए उस बच्चे को निर्दिष्ट रूप से निश्चित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। इस तरह जिस बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिया गया है उसे चौदह वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होने तक निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होगा।

• प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चे के प्रवेश के लिए उसकी उम्र, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1856 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र और निर्दिष्ट अनुसार प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उम्र का सबूत नहीं होने पर किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता।

• प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

• छात्र - शिक्षक के निश्चित अनुपात का अनुरोध।

• आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों के लिए सभी निजी स्कूलों में कक्षा एक में दाखिला में 25 फीसदी आरक्षण की मांग।

• शिक्षण गुणवत्ता में सुधार का आदेश।

• स्कूल अध्यापकों के पास पांच साल के भीतर आवश्यक पेशेवर डिग्री होनी चाहिए, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी।

• स्कूल के बुनियादी ढांचे (कोई समस्या हो तो) को तीन साल के भीतर सुधारना होगा, नहीं तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

• वित्तीय खर्च को राज्य और केन्द्र सरकार - दोनों द्वारा वहन किया जाएगा।

2. बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता

**प्रयुक्त सूचकांक:**

* स्कूल इमारत पक्की, आंशिक पक्की है और स्कूल के चारदीवारी है।
* पर्याप्त कक्षाएं
* शिक्षकों के लिए कॉमन रूम
* सिखाने के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता (ब्लैक बोर्ड)
* खेल का मैदान और उपकरण
* पुस्तकालय
* रसोई - जो खाना बने उसकी सूची लगाना, रसोई का कमरा
* पीने का स्वच्छ पानी
* लड़कियों - लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय
* विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए एक अलग शौचालय
* सीढ़ियां चढ़ने-उतरने के लिए कटघरा, ढाल वाला मार्ग

**महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**

* 77 प्रतिशत स्कूलें अपने स्कूल स्थानों मानदंडों के अनुरूप थी।
* 79 फीसदी स्कूलों की इमारतें हर मौसम के अनुरूप थी।
* 50 प्रतिशत स्कूलों के ही स्कूल के चारदीवारी थी।
* पांच प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही कक्षा थी।
* केवल एक तिहाई स्कूलों में ही शिक्षकों के लिए सामूहिक कमरा था।
* सात प्रतिशत स्कूलों के पास उचित ब्लैक बोर्ड नहीं था।
* 40 फीसदी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं था और 55 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालय नहीं था।
* 77.8 प्रतिशत स्कूलों में पीने के साफ पानी की सुविधा थी।
* आर.टी.ई. अधिनियम में उल्लिखित रसोई सिर्फ 68.8 फीसदी स्कूलों में थी।
* केवल 9.2 प्रतिशत स्कूलों में ही विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए अलग शौचालय था और 40 प्रतिशत स्कूलों में सीढ़ियां चढ़ने-उतरने के लिए कटघरा और ढलान था।
* **गुजरात में 75 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा थी, जबकि केवल 32 प्रतिशत राजस्थानी स्कूलों में यह सुविधा थी।**
* **गुजरात की 80 प्रतिशत स्कूलें मध्याह्न भोजन मेनू (भोजन सूची) दर्शाती थी।**
* **राजस्थान की एक-तिहाई स्कूलों की इमारतें किसी भी मौसम को नहीं झेल सकती थी और एक चौथाई और अधिक स्कूलों में रसोई की सुविधा नहीं थी।**

3. शिक्षक और आर.टी.ई.

**प्रयुक्त सूचकांक:**

* भर्ती शिक्षकों के सामने सहायक शिक्षकों और शिक्षकों, और उप-अनुबंध/प्रॉक्सी शिक्षक
* छात्र और शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) के मानकों का अमल
* विषय और भाषा के शिक्षकों की स्थिति
* विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट तालीमकर्ता
* शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों का आवंटन
* स्कूल तक पहुँचने के लिए के शिक्षकों द्वारा तय की जाने वाली दूरी
* सेवाकालीन प्रशिक्षण

**महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**

* हर दस शिक्षकों में से एक शिक्षक के पैरा-शिक्षक होने का पता चला।
* 56.6 प्रतिशत स्कूलें पी.टी.आर. मानकों का पालन करती थी।
* केवल 35 प्रतिशत स्कूलें ही अलग विषय-शिक्षक मानक का पालन करती पाई गई।
* 66 प्रतिशत स्कूलों में सी.डब्ल्यू.एस.एन. के विशेष शिक्षक नहीं थे।
* 47 प्रतिशत शिक्षक आर.टी.ई. अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल थे।
* 57 प्रतिशत स्कूलों में एक से पांच शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

**गुजरात की 75 प्रतिशत स्कूलों में पी.टी.आर. का पालन किया जाता है।**

**गुजरात की 14 प्रतिशत स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक हैं।**

4. आर.टी.ई. सुनिश्चित करने में समुदाय की भागीदारी

**प्रयुक्त सूचकांक:**

* एसएमसी वाली स्कूलें, लोकतंत्र और सामाजिक निर्माण के मानकों से चिपकी रहने वाली स्कूलें
* एसएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निगमों की भागीदारी
* राज्यों में सामुदायिक भागीदारी का दर्जा

**मुख्य निष्कर्ष:**

* 79 प्रतिशत स्कूलों में एसएमसी हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के साथ ही सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिनियम के मानकों के अनुसार नहीं है।
* 59 प्रतिशत स्कूलों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निगमों की भागीदारी पाई गई।
* **गुजरात के 86 फीसदी और राजस्थान के 96 फीसदी स्कूलों ने एसएमसी का गठन किया है।**
* **गुजरात की केवल 27 फीसदी स्कूलों में एसएमसी चुनाव के आधार पर बनाई गई थी।**
* **गुजरात के 82 फीसदी और राजस्थान के 85 फीसदी स्कूलों में मान्य मानकों के अनुसार सुयोग्य प्रतिनिधित्व वाली एसएमसी कार्यरत थी।**
* **राजस्थान के 80 प्रतिशत स्कूलों की एसएमसी द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार की गयी थी, और 79 स्कूलों की निगरानी की गई थी।**

5. शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार

**प्रयुक्त सूचकांक:**

* स्पष्ट भेदभाव और बहिष्कार
* शिकायत प्रबंधन
* विकलांग बालकों के लिए सहायक उपकरणों और परिवहन का प्रावधान

**मुख्य निष्कर्ष**

* 29.2 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षक शिकायत का निवारण करते थे, इस क्षेत्र में एसएमसी का प्रतिशत दो प्रतिशत था, स्थानीय प्रशासनिक निगमों का प्रतिशत 0.6 प्रतिशत था।
* केवल 11.6 प्रतिशत स्कूलों में सहायक उपकरण थे और केवल 3.3 प्रतिशत स्कूलें विकलांग बालकों के लिए परिवहन उपलब्ध कराती थी।

इस रिपोर्ट में निम्न सवाल पाए गए थे जिन्हें हल करना आवश्यक है:

**1. व्यवस्थित तैयारी**

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की तैयारियों की कमी पर यह रिपोर्ट केंद्रित है। सरकार एसएमसी के गठन के लिए आदेश जारी नहीं करती, जो इस बाता का एक उदाहरण है। आवासीय विद्यालय को अधिनियम से बाहर रखने से उन स्कूलों के बच्चों के साथ अन्याय होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा, विकलांग बच्चों को घर में स्कूली शिक्षा प्रदान करने का अधिकार इन बच्चों को मुख्य धारा में जुड़ने के प्रयास को और अधिक कठिन बनाता है। रिपोर्ट में इस ओर भी ध्यान खींचा गया है कि बजट आवंटन वास्तविक आवश्यकता के अनुसार नहीं किया जाता। पारदर्शिता के लिए नागरिक और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी में सुधार करने की आवश्यकता है। अंत में रिपोर्ट सूचित करती है कि निजी भागीदारी के प्रवेश बदले सरकार को सरकारी स्कूलों की स्थिति, और गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पाठ्यक्रम के विकास के लिए एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत

* **स्कूल के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना।**
* **यह सुनिश्चित करना कि रटने की पद्धति से बचें।**
* **बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रखकर समृद्ध बनाना।**
* **कक्षाओं में परीक्षाओं को और अधिक लचीला और एकीकृत बनाना।**

एसएमसी का गठन और उसकी भूमिका

**संरचना**

* 75 प्रतिशत एसएमसी सदस्य माता-पिता होने चाहिए।
* शेष 25 प्रतिशत सदस्यों में से एक-तिहाई स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचित सदस्य, एक-तिहाई शिक्षक और एक-तिहाई स्थानीय शिक्षक होने चाहिए।
* किसी क्षेत्र में कोई शिक्षक न हो तो यह स्थान एक छात्र को देना चाहिए.
* एसएमसी सदस्यों की कुल संख्या स्कूल में छात्रों की संख्या पर निर्भर होती है

**भूमिका और जवाबदारी**

* स्कूल के कामकाज पर निगरानी।
* यह सुनिश्चित करना कि आसपास के सभी बच्चे स्कूल में दाखिला लें और वे नियमित रूप से स्कूल आएं।
* बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होने पर स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करना, विशेष रूप से बच्चे की मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में, प्रवेश देने में और अन्य इसी तरह के मामलों में।
* विकलांग बच्चों की पहचान निर्धारित करनी और और उनके प्रवेश और अध्ययन करने के लिए उनकी सुविधाओं पर नजर रखना। यह सुनिश्चित करना कि इन बच्चों की भागीदारी और उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो।
* स्कूल में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी।
* शाला के आय-व्यय का हिसाब तैयार करना।
* स्कूल विकास योजना तैयार करना और इसकी सिफारिश करना।
* उचित सरकारी या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग पर नजर रखना।
* यह ध्यान रखना कि शिक्षक अधिनियम में वर्णित को छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ से तो नहीं दब गए। गैर शैक्षणिक कार्यों में दस साल में जनगणना, स्थानीय प्राधिकरणों के चुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव और राहत कार्य शामिल हैं।

**2. आर.टी.ई. मानक के अनुसार स्कूलों की उपलब्धता**

पूरे वर्ष भर स्कूल जाने के लिए उपयुक्त मार्ग का अभाव, गांवों में निर्धारित सीमा के भीतर स्कूलों का न होना (एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल) और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के रिकॉर्ड के रखरखाव की कमी आदि जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था।

**3. सामुदायिक भागीदारी और एसएमसी**

किसी भी राज्य की एसएमसी अपनी रचना के संदर्भ में दिशा निर्देशों की कमी की समस्या का सामना करती है। इसके अलावा, समिति के सदस्यों का निष्पक्ष चुनाव नहीं होता या उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। स्कूल विकास योजना में एसएमसी सदस्यों की भागीदारी और उनकी भूमिकाओं के बारे में जागरूकता की कमी देखी गई थी।

आउटलुक पत्रिका में 25 प्रतिशत आरक्षण के   
संबंध में प्रकाशित लेख - असमान बचपन में से उल्लेखनीय मुद्दे

* सरकार द्वारा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (400 रु. प्रति बच्चा प्रति माह) निजी स्कूलों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस (2,000-3,000 रु.) की तुलना में काफी कम है।
* गुजरात में 25 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार, खाली सीटें 90 प्रतिशत हैं, और राजस्थान में यह मात्रा केवल 16 फीसदी है। गुजरात में 29 जिलों में से महज आठ में आरटीई को प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया है।
* इसके अलावा, पहचान निर्धारित करने के लिए मापदंड (5300 सीटों के साथ 200 स्कूलें) भी गुजरात सरकार द्वारा नही दिया गया।

उत्तर प्रदेश में सरकार स्कूलों की सभी सीटों के भरने के बाद ही निजी स्कूलों में प्रवेश देना, महाराष्ट्र ऑनलाइन प्रवेश, कर्नाटक में केवल 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्रों वाली स्कूलों को ही अल्पसंख्यक दर्जे को स्वीकार करने के लिए नए आदेश, आदि जैसे राज्यों के नियमों के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा हासिल करना अधिक मुश्किल हो गया है।

**4. गुणवत्ता**

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) के संदर्भ में पुस्तकों की गुणवत्ता और एक से अधिक कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण और स्थानीय भाषा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्षमता को भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया है।

**5. समावेश**

शामिल किए जाने के मुद्दों में मुख्य रूप से समाज में वंचित समूह पर जोर दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) बच्चों के स्कूल छोड़ने का बहुत उच्च अनुपात इस तरह का एक सवाल है। इसके अलावा, मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल प्रवेश के लिए ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए उपयुक्त परिवहन के प्रावधान की कमी भी पाई गई है।

**6. शिक्षा का निजीकरण**

25 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की अड़चन से बचने के लिए सहायता के बिना विभिन्न राज्यों में चलने वाली निजी स्कूलों द्वारा सामूहिक आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा (क्योंकि अल्पसंख्यक स्कूलों को 25 फीसदी आरक्षण से छूट दी गई है) के लिए आवेदन करने की बात भी मुख्य सवाल है।

**7. शिक्षक**

शिक्षकों की संख्या और शिक्षकों की गुणवत्ता, योग्यता सरकारी स्कूलों की एक स्थायी समस्या बन गयी है। 99 प्रतिशत शिक्षकों केन्द्रीय पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में फेल हुए हैं, और कई स्कूलों में अभी भी एक ही शिक्षक है ै इन तथ्यों से वास्तविकता का पता चलता है।

**महत्वपूर्ण सिफारिशें**

**आरटीई के लिए व्यवस्थित तैयारी**

* यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की सभी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के मानकों को पूरी तरह से पालन किया जाए।
* स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की एक सार्वभौमिक परिभाषा पेश करना।
* आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, स्कूली शिक्षा से वंचित रहने वाले 27 लाख बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू करना। स्कूल से वंचित रहने वाले बच्चों का वास्तविक आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है।
* प्रशासनिक संरचना को आर.टी.ई. संरचनाओं के अनुसार तैयार करने का कार्य शुरू करना और विभागों में सभी प्रशासनिक पदों पर आवश्यक नियुक्ति करना।

**शिक्षक**

* सर्व शिक्षा अभियान और राज्य शिक्षा विभाग के तहत 12 लाख शिक्षकों की मौजूदा रिक्तियों को भरना।
* शिक्षिकाओं की भर्ती और वंचित समुदायों में से भर्ती को प्राथमिकता देना।
* वर्तमान अध्यापकों को फिर से काम पर रखकर यह सुनिश्चित करना कि अगले तीन महीने में किसी भी स्कूल में केवल एक शिक्षक न हो।
* प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) से वंचित 41 प्रतिशत स्कूलों में प्रधानाचार्य की भर्ती और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
* पिछले वर्ष के दौरान स्कूल निरीक्षक जिन 48 प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सके, उनके सहित स्कूलों और शिक्षकों के लिए जवाबदेही की संरचना को सुनिश्चित करने में मदद और जांच की व्यवस्था को अधिक अर्थपूर्ण बनाना। मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय स्वयंसेवकों (एएसवी) को भर्ती करने के बिहार मॉडल को देश भर में लागू किया जा सकता है। (मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक - एएसवी राज्य को स्वयंसेवक सेवा प्रदान करता है। इसलिए, बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सभी सर्वेक्षण (जनगणना और सेम्पल) निश्चित समय सीमा के भीतर करने चाहिए ताकि शिक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े।)

**आरटीई अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकरण के बाद सीएसपीसीआर या आरईपीए को प्रथम अपीलीय इकाई माना जाता है।**

**गुजरात में शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं और टोल फ्री हैल्प लाइन दी गई है।**

**इस व्यवस्था वाले कई राज्यों में यह व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही। इस कारण से शिकायतों की संख्या काफी कम हो रही है। जैसे, राजस्थान में 2010-11 में शिकायतों की जो संख्या 771 थी, वह 2012-13 घटकर 2 रह गई।**

**शिकायत निवारण**

* शिकायत निवारण पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (एससीपीसीआर) अथवा शिक्षक तैयारी और जवाबदेही (आरईपीए) कमी वाले सात राज्यों में तुरंत उसकी शुरुआत की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आरईपीए को पूरी तरह से एससीपीसीआर में रूपांतरिक किया जाए।
* एससीपीसीआर और 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (एनसीपीसीआर) को पर्याप्त धन मिले, यह मजबूत बने और वांछित जिम्मेदारी लेने के लिए पेशेवरों की नियुक्ति आवश्यक है।
* एसएमसी और पंचायत से लेकर एनसीपीसीआर की कमियों को दूर करने वाली राष्ट्रीय और समावेशी शिकायत-निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए।

**निजी स्कूलों के लिए नियम के अनुसार संरचना**

* निजी स्कूलों में 25 फीसदी कोटे के कार्यान्वयन के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए कोटा के कार्यान्वयन के लिए बाध्य करना।
* यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी स्कूलें आर.टी.ई. के मानकों, मानदंडों और अन्य प्रावधानों पालन करें और केन्द्रीय नियम द्वारा शुल्क संरचना पर नियंत्रण जैसे अन्य मुद्दों के लिए समुचित नियमन ढांचे का क्रियान्वयन हो।
* सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के नाम पर सरकारी स्कूलों को निजी क्षेत्र में सौंपने की प्रवृत्ति बंद करनी चाहिए, और इसके स्थान पर कमियों क दूर करने के लिए प्रावधानों में सुधार करना चाहिए और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

**सामुदायिक भागीदारी**

* शैक्षिक सुविधाएं के उचित निष्पादन के लिए लोगों द्वारा मांग उठाई जानी चाहिए और शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लोगों का दबाव लाने के लिए बच्चों को इकट्ठा और संगठित करना चाहिए।
* लोगों और बच्चों में शैक्षिक अधिकारों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए के राज्य में बड़े पैमाने पर समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों और मीडिया अभियान (मास-मीडिया अभियान) चलाया जाना चाहिए।
* एसएमसी का गठन चुनाव द्वारा किया जाना चाहिए और महिलाओं के साथ-साथ सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों का कानून द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जेंडर समानता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एसएमसी के लोकतांत्रिक
* संविधान की जिम्मेदारी प्रिंसिपल (प्रधान शिक्षक) को दी जानी चाहिए, जिसकी निगरानी की जाएगी।
* एसएमसी के प्रशिक्षण के समय शिक्षा की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के कर्मचारी की तरह उसके सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। एसएमसी के प्रशिक्षण के लिए, कई राज्यों में पंचायती राज संस्था कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सफल प्रयासों का
* पालन करना चाहिए।
* आरटीई अधिनियम और 73वें और 74वें संशोधन के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाने वाले स्थानीय प्राधिकरण (विशेष रूप से पंचायतों और शहरी स्थानीय निगमों या इकाइयों) की क्षमता वृद्धि की प्रक्रिया शुरू करना।

**गुणवत्ता में सुधार**

* सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) कार्यान्वयन नहीं होने के परिणामों और गैर-निरोध की नीति के कार्यान्वयन नहीं होने के अकुशल उपायों का समाधान करना।
* प्रारंभिक मानकों में उर्दू बोलने वाले, आप्रवासी और आदिवासी समुदायों से आने वाले बच्चों के लिए के मातृ भाषा में सूचनाओं को रखने के लिए व्यवस्था विकसित करना।
* स्कूल के पाठ्यक्रम में दलित, मुस्लिम और आदिवासी समुदायों, धर्म, संस्कृति के नेतृत्व और योगदान की समृद्ध विविधता को शामिल करना और संवेदनशीलता वातावरण तैयार करना लेना और कोशिश करना कि सभी शिक्षकों और बच्चों में उन समुदायों के प्रति सम्मान हो।
* शिक्षा में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति योजना (सीएसपी) के तहत बजट आवंटन का सीधा लाभ आदिवासी और दलित बच्चों की शिक्षा की प्राप्यता और उपलब्धियों में किया जाना चाहिए।
* शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए और उसके प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए और लिंगभेद और विकलांगता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।
* सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के अनुसार एकसमान और न्यायसंगत बजट प्रदान करना।
* पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें छात्र के सीखने स्तर के अनुसार हैं यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा करना चाहिए और आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

**सामाजिक समावेश**

* प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्यकर्ता, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और सीडब्ल्यूएसएन के सामाजिक बहिष्कार की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। इस संदर्भ में, शिक्षकों को उनके शैक्षिक और कार्य निष्पादन (सेवारत) के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा और छात्रों को सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में संवेदनशीलता सत्र आयोजित किये जाएंगे।
* लड़की और लड़के में जेंडर समानता को ध्यान में रखकर व्यवहार करना, जिसे परिवारों, समुदायों और प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ करना जरूरी है।
* सीडब्ल्यूएसएन पर के आरटीई अधिनियम के सभी प्रावधानों पर नजर रखने के लिए सीडब्ल्यूएसएन के साथ काम करने वाले सभी नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी के साथ सभी राज्यों सीडब्ल्यूएसएन कक्षों का गठन किया जाना चाहिए।

**आरटीई कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कारक**

* शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) का उपयोग करना, जिसमें आरटीई के बुनियादी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के क्रम में आपात अस्थायी आधार विद्यालय का विवरण शामिल होता है।
* कार्यान्वयन की ऑनलाइन उपलब्धता के आधार पर एक पारदर्शी प्रणाली को लागू करना और इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा वेब पोर्टल जैसे मौजूदा मॉडल का उपयोग करना, जिसमें सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हौती है और स्थानीय निवासी भी उसमें जानकारी दे सकते हैं। कार्यान्वयन की चुनौतियों की जानकारी व्यापक होंगी, तो नागरिक समाज संगठनों, सहायता और अधिक कुशलता से विस्तार कर सकेंगे।

संदर्भ:

1. Status of Implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 on the third year of its Implementation (2012-13), RTE Forum.

2. Pavithra S.Rangan. An Unequal Childhood. http://www.outlookindia.com/article/AnUnequalChildhood/291801.

3. Sijan Thapa (2012), How functional are School Management Committees in the present context?, Researching Reality Internship.

4. Accredited Statistical Volunteer, Directorate of Economics and Statistics, Department of planning and Development, Government of Bihar.

5. The National Curriculum Framework (NCF 2005), National Council of Educational Research and Training.

**संदर्भ सामग्री**

सूचना पैक:

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं

प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं

उन्नति - विकास शिक्षण संगठन द्वारा हिन्दी भाषा में बनाए गए इस सूचना पैक में सामाजिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, पोषण एवं प्राथमिक शिक्षा संबंधित केन्द्र व राजस्थान सरकार की 35 महत्वपूर्ण योजनाओं को संकलित किया गया है।

यह सूचना पैक चार भागों में विभाजित है - (1) सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं (2) जन स्वास्थ्य योजनाएं (3) प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं (4) समस्याओं के समाधान की व्यवस्थाएं। हर भाग की शुरूआत उनको महत्त्व तथा उनके उचित क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर संक्षिप्त चर्चा से हुई है।

इस सूचना पैक का उद्देश्य आसान भाषा में महत्वपूर्ण योजनाओं की संकलित सूचना लोगों तक पहुचाना है। इस पुस्तिका में योजना का उद्देश्य, किनके लिए क्या लाभ निर्धारित है, उन्हें लेने के लिए आवेदन कैसे, किन प्रमाण-पत्रों के साथ व कहां करना है, इसकी जानकारी दी गई हैं। आवेदन करने के बाद कितने दिनों में आवेदक को स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों की स्पष्ट सूचना मिलेगी, इस बात की जानकारी भी देने की कोशिश की गई हैं। आवेदन पत्रों की प्रतियाँ सलंग्न नही की गई हैं। जानकारी के साथ-साथ यथा संभव संबंधित नियम, सरकारी मार्गदर्शिका तथा आदेश संख्या इत्यादि का उल्लेख किया गया है, जिन्हें ज्यादा जानकारी के लिए उपयोग कर सकते हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के बारे में सरकार की सार्वजनिक योजनाओं के बारे में संक्षिप्त सूचना पुस्तिका

इस सूचना पुस्तिका को सरल गुजराती भाषा में उन्नति विकास शिक्षण संगठन द्वारा तैयार किया गया है। अधिकांश कार्यक्रम और योजनाएं गरीबों, वंचित समुदायों और विकलांग व्यक्तियों तक नहीं पहुँची हैं। इसके कई कारण हैं। इन में से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हैं कि सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं की पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच पाती, जिसके परिणाम स्वरूप लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

इस सूचना पुस्तिका के मुख्य तीन भाग है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सरकार की सार्वजनिक योजनाओं के बारे में 48 सार्वजनिक योजानाओं की जानकारी दी गई है। जैसे, लाभ किसे मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, लाभ कहां से मिलेगा और लाभ प्राप्त करने के लिए किन-किन सबूतों की आवश्यकता होगी। ईसी बात को ध्यान में रखकर यह सूचना पुस्तिका तैयार की गई है। इन योजनाओं की जानकारी अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचेगी तो लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चलेगा और वे इन योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो भूमिका है उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई हैं।

प्राप्ति स्थान: वेबसाईट: unnati.org पर पब्लिकेशन विभाग से निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती हैं।

उन्नति

**विकास शिक्षण संगठन**

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फैक्स: 079-26743752

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोन: 0291-3204618

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क: दीपा सोनपाल, ईमेल: sie@unnati.org, [publication@unnati.org](mailto:publication@unnati.org)

**अनुवाद:**  आर. गुप्ता **ले-आउट:** रमेश पटेल - उन्नति

**मुद्रक:** बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।